न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 284/2021

1. श्रवण कुमार पुत्र चन्दूराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 5 लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. संजयपाल पुत्र चन्दूराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 5 लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

-- प्रार्थी

–:बनाम:–

1. महीराम पुत्र किरताराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 5 लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. शंकरलाल पुत्र किरताराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 5 लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता -- **प्रार्थीगण**
2. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता -- **अप्रार्थीगण**
3. **तहसीलदार पीलीबंगा** -- **राज पैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24/06/2022

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/289 (22) के किला नम्बर 24, 25/1/0.228 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 6/1/0.215 व किला नम्बर 7/2/0.030 हैक्टेयर कुल 0.726 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। संख्या 2 के नाम चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) का किला नम्बर 6/3/0.013, 7/1/0.223, 8, 9, 10 कुल 0.995 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 12 एल.जी.डब्ल्यू.के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 11 ता 20, 21/1/0.202, 21/2/0.051 मय गैर मुमकिन रास्ता, 22/1/0.202, 22/2/0.051 गैर मुमकिन रास्ता, 23/1/0.202, 23/2/0.051 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता कुल 3.289 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। [illegible] संख्या 2 के नाम चक 12 एल.जी. डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला [illegible] 24/1/0.202, 24/2/0.051 गैर मुमकिन रास्ता, 25/1/0.202, व 25/2/0.051 गैर मुमकिन रास्ता [illegible] पत्थर नम्बर 14/291 (40) का किला नम्बर 1 ता 15, 18, 19, 20 की कुल 4.378 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:07:10 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 21 ता 25 मे 4-4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है। जो पूर्व दिशा से पश्चिम की और चलता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि को काश्त करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 15, 16 में पूर्व दिशा में उतर दक्षिण की और प्रत्येक बीघा में 2-2 बिस्वा व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 25 में पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण की और 2 बिस्वा रास्ते का उपयोग पिछले लम्बे अर्से से करते चले आ रहे है।

प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 15, 16,25 नहरी भूमि में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की और चल रहे रास्ते में बाधा कारित करने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 15, 16 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की और प्रत्येक बीघा में 2 -2 बिस्वा व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 25 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की और 2 बिस्वा अर्थात .025 हैक्टेयर प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 15, 16, 25 नहरी भूमि में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण में से ही सीधा व सुगम रास्ता है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि में स्वीकृत करवाये जा रहे रास्ते के स्थान के बदले श्रीमान जी द्वारा प्रतिफल राशि अदा करने के आदेश दिये जाने पर प्रतिफल राशि देने को तैयार है।

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कार्य फसल बोने,काटने, उठाने व अपनी ढ़ाणियों में आने जाने के लिये स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एंव अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रोके जाने की धमकी दी जा रही है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 15, 16 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की और प्रत्येक बीघा में 2-2 बिस्वा अर्थात .025 हैक्टेयर प्रत्येक बीघा व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 (33) के किला नम्बर 25 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की ओर 2 बिस्वा अर्थात .025 हैक्टेयर में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:07:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना-पत्र दर्ज किया जाकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट जसपाल सिंह हाजिर आये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र जरिए अधिवक्ता पेश किया कि उक्त पत्थर नम्बर 14/289 का किला नम्बर 15 प्रार्थीगण के भाई भजनलाल के नाम व कि.नं. 16 गोपीराम के नाम व प.नं. 14/290 का किला नम्बर 5 बाबूलाल के नाम है उक्त गोपीराम व बाबूलाल प्रार्थीगण के परिवार से ही

24.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की दफा 6 में चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/289 के किला नम्बर 2 व 9 में उतर- दक्षिण लम्बा व उक्त पत्थर के किला नम्बर 13 ता 15 से होकर पत्थर नम्बर 15/289 के किला नम्बर 11 ता 15 कि और पूर्व- पश्चिम स्वीकृत शुद्धा रास्ता का अपने प्रार्थना पत्र में वर्णन नहीं किया है तथा यह अहम तथ्य छुपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण ने उक्त दफा 7 में निराधार व झूठे कथन किये है कि चक 12 एल.जी. डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 कि हम अप्रार्थीगण के कृषि भूमि के किला नम्बर 15, 16, 25 में कोई चालू रास्ता नहीं व न ही ऐसा उपयोग कभी प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। जबकि प्रार्थीगण ही अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/289 किला नम्बर 15, 16, 25 व पत्थर नम्बर 14/290 के किला नम्बर 5 व 6 में उतर-दक्षिण लम्बा रास्ते का उपयोग करते है जिसका उक्त पत्थर नम्बर 14/289 के किला नम्बर 13 ता 15 में से निकलने वाले स्वीकृत शुदा रास्ते से मिलान होता है। जिसमें उक्त 14/289 के किला नम्बर 25 व पत्थर नम्बर 14/290 का किला नम्बर 6 प्रार्थी संख्या 1 के नाम है व उक्त पत्थर नम्बर 14/289 के किला नम्बर 15, 16 व पत्थर नम्बर 14/290 का किला नम्बर 5 प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों के नाम है। इसलिए प्रार्थीगण हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। जबकि इन्ही तथ्यों व अनुतोष पर एक दावा अनवान बाबूलाल बनाम चन्दूराम वगैरा आदि प्रकरण संख्या 151/18 श्रीमान न्यायालय में जैरकार है, इसी रास्ता की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. प्रार्थीगण के पिता चन्दुराम के द्वारा पूर्व में ही दिनांक 05.07.2019 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जा चुका है।

प्रार्थीगण के पिता चन्दूराम ने इस दावा में वर्णित व चाहा गया अनुतोष जो प्रार्थी का पिता पूर्व में खारिज हुआ प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता ही है, को स्वीकृत करवाने के लिये व इन्ही तथ्यों पर आधारित एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उप जिलाधीश हनुमानगढ़ के न्यायालय में मुकदमा नम्बर 140/81 अनवान चन्दूराम बनाम शंकरलाल पेश कर निवेदन किया था कि उक्त चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. का पत्थर नम्बर 14/290 का किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत कर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। जिसका निर्णय उक्त न्यायालय उपजिलाधीश हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 19.10.1982 को यह अंकित करते हुए खारिज किया कि प्रार्थी की भूमि के लिए रास्ता पहले से ही लगता है। उपजिलाधीश के निर्णय के खिलाफ चन्दूराम के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपील नम्बर 144/1982 अनवान गोपीराम व चन्दूराम बनाम शंकरलाल आदि के द्वारा की गई, जिसका निर्णय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के ... के द्वारा दिनांक 09.08.1983 को किया जाकर उक्त प्रार्थीगण के ... खारिज कर दी गई। दिनांक 09.08.1983 के राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के उक्त निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में अपील अनवान गोपीराम चन्दूराम बनाम शंकरलाल आदि प्रकरण संख्या 122/1983 व अनवान शंकरलाल बनाम गोपीराम आदि प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:07:10 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

124/83 दो अपीलें प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थीगण के पिता चन्दूराम उपस्थित था। इन दोनों अपीलों का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा निर्णय एक साथ निर्णित करते हुए दिनांक 09.11.1989 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.1982 व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर का उक्त निर्णय दिनांक 09.08.1983 की पुष्टि कर उक्त दोनों निर्णयों को सही मान कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने गोपीराम, चन्दूराम यादि प्रार्थीगण के पिता की द्वितीय अपील को भी खारिज कर दिया।

प्रार्थीगण के द्वारा सही तथ्यों का छुपा कर उक्त चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 14/290 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की कुल उक्त भूमि में ही रास्ता के सम्बन्ध में ही अनुतोष प्राप्त करने के लिये पुनः हस्तगत प्रकरण/ दावा हाजा पेश किया गया है। जबकि प्रार्थी/ वादी के द्वारा चाहा गया उक्त अनुतोष की मांग को श्री मान जी द्वारा व उक्त अनुसार उपजिलाधीश हनुमानगढ़ व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णयों के जरिये खारिज किया गया है।

प्रार्थीगण के खिलाफ हुए उक्त निर्णयों को छुपा कर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र/दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने न्यायालयों की अवमानना की है। जिससे प्रार्थीगण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण ने बतौर साक्ष्य उक्त निर्णयों की प्रतियां जववा के साथ फहरिश्त दस्तावेज पेश किये हैं।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से मौका जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक राजस्व/2022/378 दिनांक 8.3.2021 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त पेश की। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 14/290 (33) कि. नं. 15, 16, 25 दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि.नं. 25 में पूर्व से पश्चिम 0.051 है. गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड व मौके पर चालू है व कि.नं. 15, 16 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नहीं है व ना ही मौके पर चालू रास्ता है। प्रार्थी सभी खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चचाहे गए रास्ता के अलावा उक्त रकबे को मुताबिक रिकॉर्ड कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के अलावा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता जो कि प.नं. 14/289 (22) कि.नं. 15, 16, 25 व प.नं. 14/290 (33) कि.नं. में मौके पर घरेलू तौर पर चालूरास्ता है। प.नं. 14/289 (22) कि.नं. 2, 9, 13, 14, 15 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है व मौके पर चालू है।

बहस

दिनांक 22.6.2022 को बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए इस प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में पारित किए गए निर्णयों के अनुतोष से भिन्न अनुतोष होने पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस [illegible] इसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में उपजिलाधीश हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी पक्ष ने उपजिलाधीश महोदय हनुमानगढ़ के निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपील की गई, जो खारिज हो चुकी है। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय के खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर की की गई अपील भी खारिज हो चुकी है। इस भूमि के

24.06.2022
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:07:10 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्ध में आरटीए 88 का एक दावा माननीय न्यायालय में जेरकार है। और एक अन्य प्रार्थना-पत्र 251(क) आरटीए अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। इस कारण यह प्रार्थना-पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है। वकील अप्रार्थी ने धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसरण में पश्चातवर्ती दावे/प्रार्थना-पत्र को खारिज योग्य बताया है। अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता की सुविधा है, जिससे वे आना-जाना करते हैं। मांग किया गया रास्ता 3 बीघा भूमि का है, जबकि प्रार्थी के पास प. नं. 14/289 में दो बीघा में रास्ता स्वीकृत करवाया जा सकता है।

-:: आदेश ::-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजों के अनुसार मामला यह है कि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्व में रास्ता दर्ज था, जिसे भू-प्रबन्ध विभाग ने 2035-44 में हटाकर भूमि अप्रार्थीगण के नाम कर कर दी। प्रार्थी पक्ष ने अप्रार्थीगण की इस कृषि भूमि पर पुनः रास्ता दर्ज करने हेतु उपजिलाधीश हनुमानगढ़ के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र अनवान चन्दूराम बनाम शंकरलाल पेश किया, जिसे उपजिलाधीश ने दिनांक 19.10.1982 को यह निर्णय पारित करते हुए कि प.नं. 16/289 व 16/290 में पहले से ही मंजूरशुदा रास्ता है। इसी रास्ते से ग्रामवासी अपने खतों में आते जाते है। नया रास्ता स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया था। उपजिलाधीश हनुमानगढ़ में निर्णय दिनांक 19.10.1982 के विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से अपील संख्या 144/82 अनवान गोपीराम व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के न्यायालय में पेश हुई, जिसका निर्णय दिनांक 9.8.1983 को करते हुए अपील को खारिज कर दिया था। मा0 राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय के विरूद्ध मा0 राजस्व मण्डल में धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम के तहत दो अपीले दायर की गई। दोनों अपीलों पर निर्णय दिनांक 9.11.1989 देते हुए उपजिलाधीश हनुमानगढ़ व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णयों को उचित ठहराया गया। निर्णय में यह भी लिखा गया है कि उपजिलाधीश हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 19.10.1982 से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी गलती को ठीक करके कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने भी अपना निर्णय सहीं दिया है। इस प्रकार से दोनों अपीले खारिज की गई।

हमने इस भूमि पर रास्ता स्वीकृत करने के पूर्ववर्ती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण और पश्चातवर्ती प्रार्थना-पत्र/दावा के निष्पादन पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 (res-judicata) के प्रावधानों पर भी मनन किया। जिसके अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः या सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे किसी पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनसे कोई वाद करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में [illegible] प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का [illegible] में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम थ औ[illegible] जा चुका है और अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी ने आरबीजे (27)2020 मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अनवान बंशीलाल व अन्य बनाम कजोड़ीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.9.2020 के दृष्टान्त पेश किए है, जो चस्पा होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:07:10 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ऐसे पश्चातवर्ती वादों का विचारण धारा 11 पूर्व न्याय के सिद्धान्त के अनुसार विचारण से प्रवरित करता है। इस सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य वादों की बहुलता को रोकना है। सीधे अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी विवाद विषय वस्तु का कोई निष्पादन योग्य निर्णय हो जाने के बाद उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विवाद बाबत नये वाद के विचारण को रोकना है। हम धारा 11 सीपीसी बाबत वकील अप्रार्थी के कथनों से सहमत है।

हमने तहसीलदार की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। हम तहसीलदार की रिपोर्ट से सहमत है।

सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन और बहस में पेश किये गये बिन्दुओं के आधार पर यह तथ्य हमारे सामने आया है कि प्रार्थीपक्ष ने नेकनीयती से प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया है, अपितु पूर्व में जारी इस विषय में दायर प्रार्थना-पत्र व दावा के बारे में अपने प्रार्थना-पत्र में कोई तथ्य पेश नहीं किया गया और तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। यह तथ्य पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है।

बहस उभय पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत उपर्युक्तानुसार पूर्ववर्ती निर्णयों का ससम्मान गहनता से अध्ययन किया गया। बहस में पेश किये गये तथ्यों पर मनन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार दाखिल रिकार्ड की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:07:10 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा